



कार्यालय नगर निगम, उदयपुर (राज.)

क्रमांक- 25/3/90/2013-14

दिनांक- 22-10-2013.

श्री मनोहर लाल पिता स्व. श्री लक्ष्मीनारायण तिवारी एवं
श्री सत्यनारायण पिता स्व. श्री बंशी लाल जी तिवारी

विषय :- भवन निर्माण का अनुमति पत्र (प्रथम चरण)

प्रशासन शहरों के संग अभियान-2012
के तहत प्रदत्त शक्तियों की अनुपालना में जारी

महोदय/महोदया,

आपके द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र क्रमांक ...भ.अ/090/2013-2014..... दिनांक ...16/8/2013..... के अनुसरण में न्यू फतेहपुरा, उदयपुर..... नामी योजना के भूखंड संख्या 34/बी..... ब्लॉक संख्या-..... भूखंड संख्या 34/बी..... वार्ड संख्या 3..... क्षेत्रफल 13250'-0"..... वर्ग फीट पर निम्नलिखित शर्तों के साथ नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा दिनांक 17.10.12 को प्रशासन शहरों के संग अभियान 2012 के दिशा निर्देश के तहत गठित एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक ...26/9/2013..... अनुसार अनुमति पत्र जारी किया जाता है।

1. भूखंड पर निर्माण निम्नलिखित सेट बैक छोड़कर किया जावेगा।

सामने का सेट बैक 30'-0"..... फीट

पीछे का सेट बैक 15'-0"..... फीट

पार्श्व का सेट बैक पार्श्व 1- 20'-0"..... फीट पार्श्व 2 - 15'-0"..... फीट

2. भूखंड पर बनाये जाने वाले भवन का क्षेत्रफल भूखंड के क्षेत्रफल के-..... प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
3. आपके भूखंड के सामने स्थित सड़क की चौड़ाई 50'-0"..... फीट है कृपया सड़क की उक्त चौड़ाई पर कोई निर्माण कार्य नहीं करें।
4. आप भवन के प्रत्येक कमरे, रसोई, शौचालय आदि में हवा व रोशनी की उपयुक्त व्यवस्था करेंगे।
5. आप भूखंड में कोई भी ऐसा निर्माण या उपयोग नहीं करेंगे जिसके कारण आपके पड़ोस या मोहल्ले में रहने वालों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
6. आप भूखंड में निर्धारित भवन रेखाओं के आगे कोई निर्माण कार्य नहीं करेंगे।
7. आपके द्वारा भूखंड पर निर्माण इस पत्र के पीछे वर्णित शर्तों एवं नगर निगम में प्रचलित भवन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार ही करवाया जावेगा अन्यथा उनके उल्लंघन करने पर अनाधिकृत निर्माण तोड़ने के अलावा आप पर फौजदारी मुकदमा चलाया जावेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। अनाधिकृत निर्माण आप के खर्चे से ही तुड़वाया जाकर निगम द्वारा आपसे खर्चे वसूल किया जावेगा।
8. इस भवन की इजाजत से भूमि/भूखंड के स्वामित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा एवं इस सम्बन्ध में नगर निगम एवं अन्य व्यक्तियों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे।
9. यह स्वीकृति मात्र आवासीय फ्लेट्स उपयोग तथा बेसमेंट एवं स्टील्ट पार्किंग + भूतल + दो मंजिल.. तक भवन का निर्माण हेतु दी जा रही है। स्वामित्व एवं अन्य मुद्दों बाबत वास्तविक तथ्य छिपाकर गलत शपथ पत्र देने एवं स्वीकृति विपरित निर्माण एवं उपयोग करने पर निगम द्वारा जारी स्वीकृति स्वतः निरस्तनीय मानी जावेगी। इस स्वीकृति को सबूत के काम में न लेंवें।
10. भूखंड के सामने जहाँ सीवर लाइन उपलब्ध है वहाँ आपके सीवर कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा।
11. भूखंड में वर्षा जल एकत्रीकरण हेतु टांके का निर्माण अनिवार्य रूप से किया जावे इस पानी को धरेलु उपयोग में लिया जावे।
12. भूखंड क्षेत्र में कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगावें तथा भवन निर्माण कम से कम लकड़ी का उपयोग कर पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्द्धन में सहयोग करें।
13. प्रार्थी इस भूखंड पर भवन निर्माण हेतु किसी राष्ट्रीय बैंक व अन्य संस्थाओं से ऋण लेने हेतु भूखंड को रहन रखें तो इसमें नगर निगम को कोई आपत्ति नहीं है।
14. यह निर्माण स्वीकृति जारी होने के दिनांक को 2 वर्ष के लिए मान्य है। इस समयावधि के पश्चात इसे नवीनीकरण कराना आवश्यक है।
15. मैन गेट के पिल्लर पर प्रार्थी अपना नाम प्लॉट नं./मकान नं., गली/सड़क का नाम एवं पूरा पता स्पष्ट शब्दों में अंकित करावें।

[Signature]

16. मैन गेट अंदर की ओर खुलता हुआ रखें एवं सड़क की तरफ रैम्प, सिढ़ी, नाल आदि न बनावें।
17. प्रार्थी द्वारा निर्माण स्थल पर दृढ़ पदार्थ से बने 4'-0" × 4'-0" आकार के बोर्ड पर भवन अनुज्ञा और सन्निर्माण की विशिष्टियों को प्रमुख रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। प्रारूप संलग्न।
18. प्रार्थी स्वयं एवं आगन्तुकों के वाहन को स्वयं के परिसर में रखे सार्वजनिक मार्गाधिकार में वाहन रखने की अनुमति नहीं है।
19. भवन की सुरक्षा के लिये क्वालिफाईड स्ट्रक्चर इंजिनियर से स्ट्रक्चर डिजाइन करवा कर ही निर्माण करावे।
20. अग्निशमन का प्रावधान नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार होगा।
21. वेसमेन्ट में पार्किंग रखें व खुले क्षेत्र में पार्किंग रखें व पार्किंग बाबत दिनांक 04/10/2013 की समर्पण पत्र हेतु दिये गये शपथ पत्र की शर्तों पर कायम रहे।
22. राष्ट्रीय भवन संहिता के सभी प्रावधानों की पालना करे।


आयुक्त, नगर निगम, उदयपुर
 नगर निगम, उदयपुर

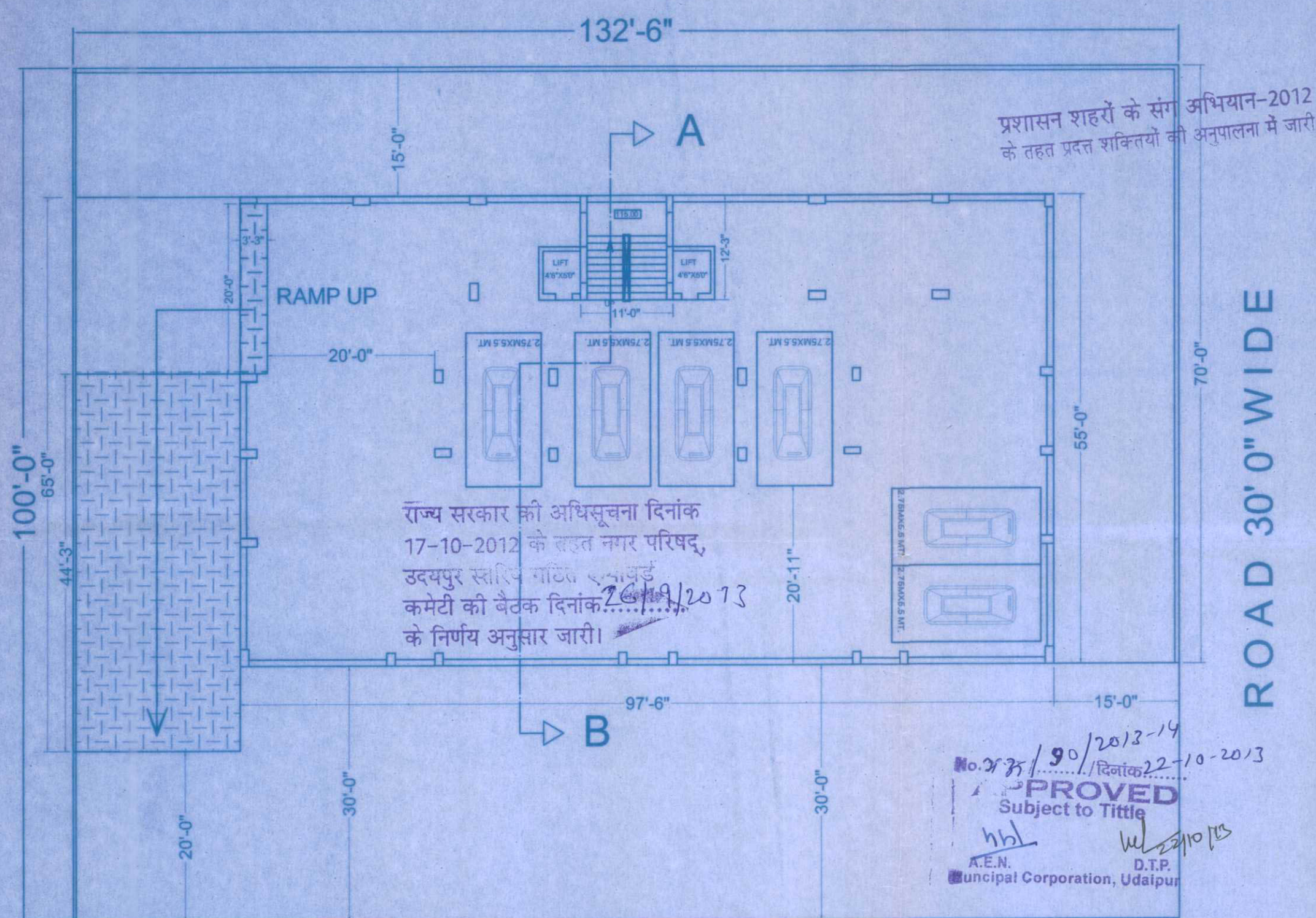
CONDITIONS :

1. No Projection Shall be allowed over the minimum open space expect in the front and that to will be permisses only in way of balony
2. Plinth heigh shall be not less than 2'-0 ft. form a abutting road level and height of compound wall shall be not more than 4.5 ft.
3. Width of staircase shall be not less than 3 ft.
4. No living the rooms shall cover carpet area less than 100 sq ft.
5. Clear ceiling height of living rooms shall be not less than 10'-0" ft. in ground floor and 10'-0" ft. in upper floors.
6. Only flush latrine shall be constructed in accordance with prevalent ruled and the effluence of septic task shall be absorbed in the soak pit within the premises of the plot.
7. Where the Government surface drain not exit the waste of the house shall be absorbed soak pit within the premises of the plot.
8. In case of Corner plot. Coner of compound wall at road crossing shall be stricltly rounded to patta/site plan..
9. No addition or alteration to the sanctioned plan shall be made prior to approval of this departement.
10. Plot number shall be put on Gate pillar.
11. Owner of the house should inform the date of Commencement of construction to this office brfore it actually starts.
12. The house Construction under this permission shall be declared for use only after obtaining completion certificate as per approve pan.
13. Rest rules as prevalent in municipal council for this clearance & sanction etc. shall be strictly followed.

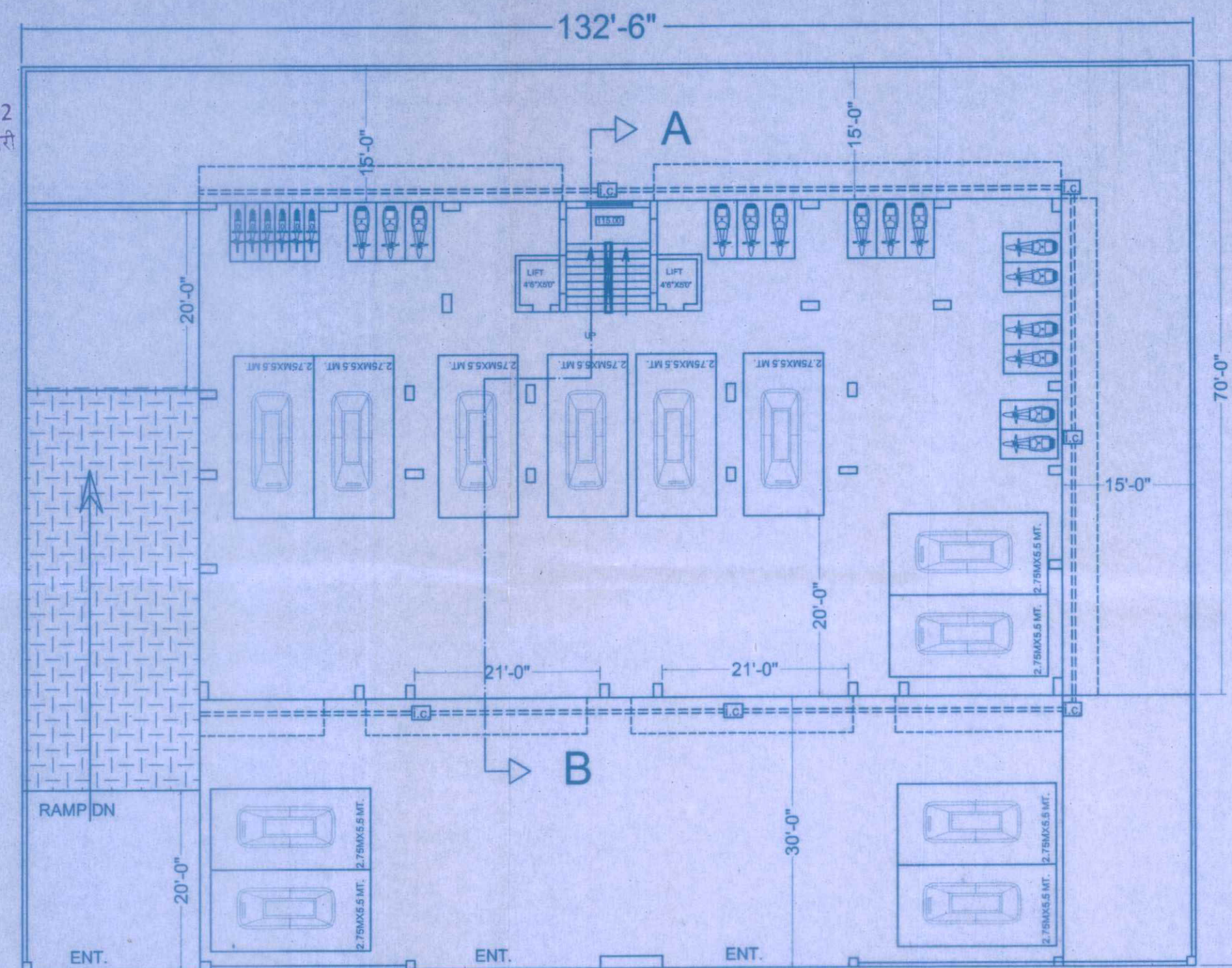
प्रतिलिपि :-

1. राजस्व अधिकारी/सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपने अपने क्षेत्र में भवन निर्माण अनुमति अनुसार निर्माण होना सुनिश्चित करावे।
2. प्रन्पास शाखा प्रथम/द्वितिय को प्रेषित कर लेख है कि नियमों के उल्लंघन विपरित रिपोर्ट आने पर आर ओ को कार्यवाही हेतु भेजे एवं प्लान मूल पत्रावली में लगावें।
3. कार्यालय प्रति भवन मानचित्र शाखा।
4. श्री उपकर निर्धारण अधिकारी भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण कार्यालय संभागीय आयुक्त, श्रम आयुक्त, उदयपुर (राज)।

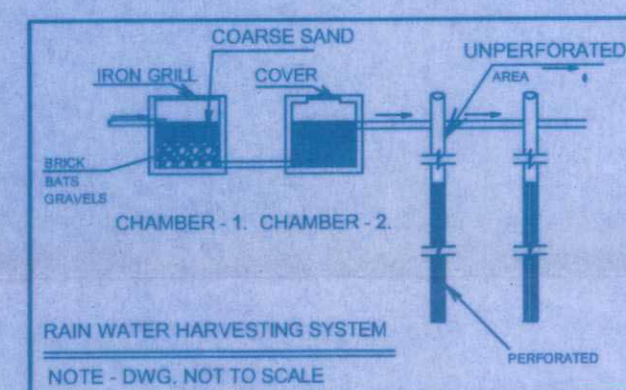
आयुक्त
 नगर निगम, उदयपुर



BASEMENT FLOOR PLAN



ROAD 50' 0" WIDE
STILT FLOOR PLAN



PARKING DETAIL

TOTAL REQUIRED PARKING E.C.U. = 24
TOTAL AVAILABLE PARKING E.C.U. = 24
1. CAR 18 (75% OF E.C.U.)
AREA FOR EACH CAR = 2.50MX5.0 MT.
2. TWO WHEELER 5X3 = 15 (20% OF E.C.U.)
AREA FOR EACH TWO WH. = 1MX2.0 MT.
3. CYCLE 1X6 = 06 (5% OF E.C.U.)
AREA FOR EACH CYCLE = 0.5MX2.0 MT.

उदयपुर नगर निगम
21/10/2013
सहायक नगर नियोजक
नगर निगम, उदयपुर

DIDUCTION DETAIL FOR B. PARKING

STAIR CASE AREA =	115.00SQ.FT
LIFT AREA =	70.00SQ.FT
TOTAL	185.00SQ.FT

DIDUCTION DETAIL FOR STILT PARKING

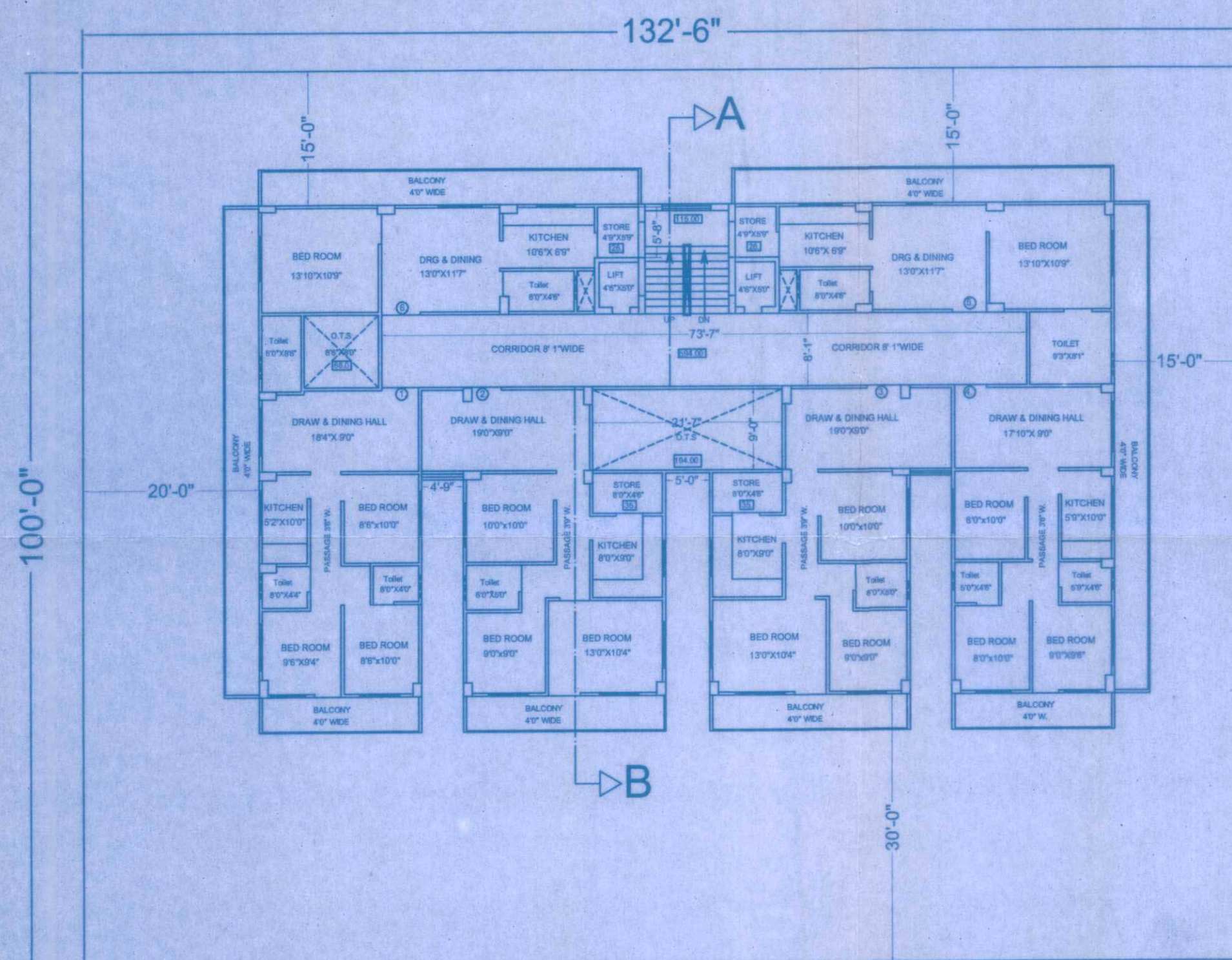
STAIR CASE AREA =	115.00SQ.FT
LIFT AREA =	70.00SQ.FT
TOTAL	185.00SQ.FT

F.A.R. DEDUCTION DETAIL

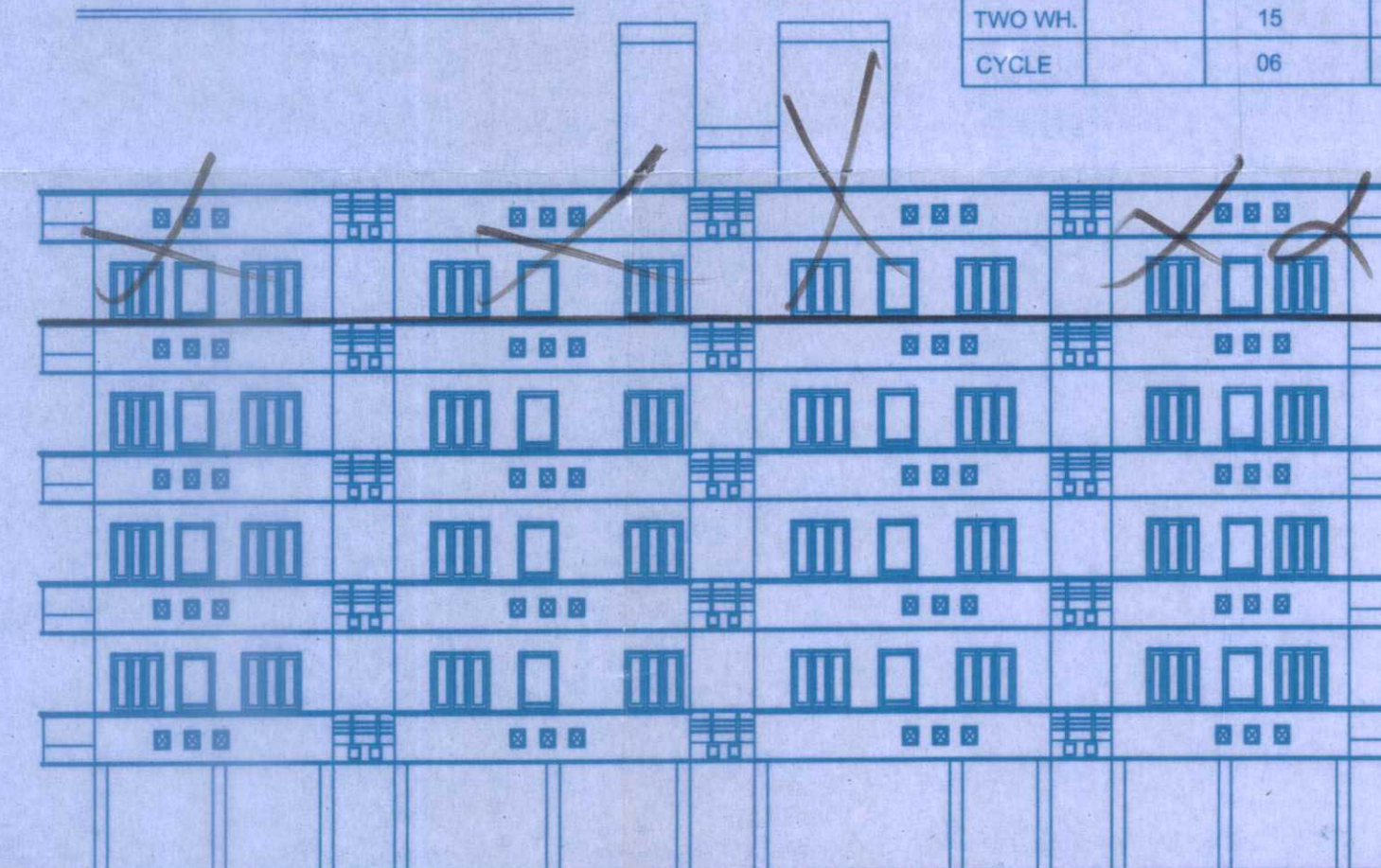
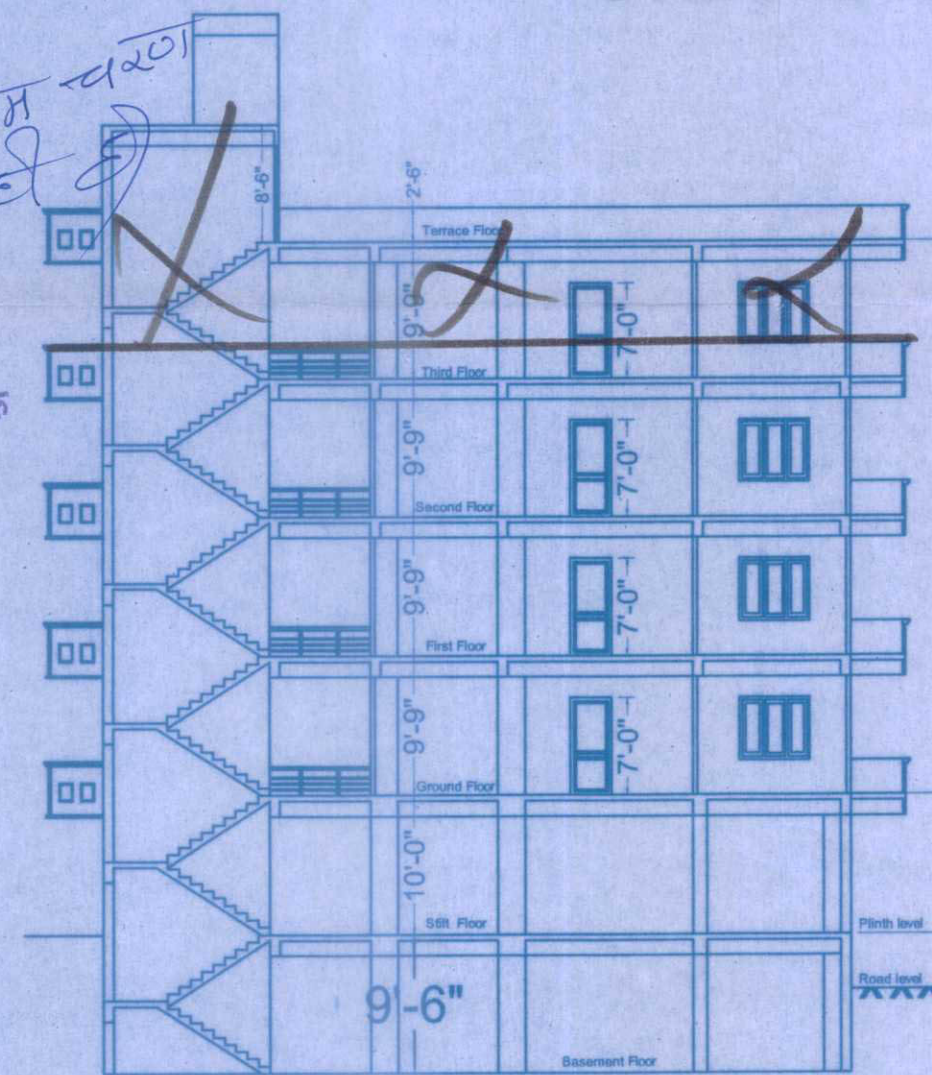
STAIR CASE AREA =	115.00SQ.FT
LOBBY AREA =	594.00SQ.FT
LIFT AREA = 35 + 35	70.00SQ.FT
O.T.S. AREA = 68+194.	262.00SQ.FT
TOTAL	1041.00SQ.FT

STORAGE = 26+26+35+35 = 122X4 = 488.00SQ.FT.

UNIT	B. FLOOR	STILT FLOOR & OPEN AREA	TOTAL UNIT
CAR	06	08	18
TWO WH.		15	15
CYCLE		06	06



TYPICAL FLOOR PLAN
(GROUND + THIRD FLOOR)



FRONT ELEVATION

SITE PLAN
SCALE: 1"=70'-0"

PLOT SIZE : AS PER SHOWN
PLOT AREA : 13250.00 SQ.FT.

F.A.R. AREA DETAIL

PARTICULAR	BUILTUP IN SQ.FT.	DIDUCTION FOR F.A.R.	F.A.R. AREA IN SQ.FT.
Basement f. area	5363.00	5363.00	00.00
Stilt floor area	5363.00	5363.00	00.00
Ground floor area	5005.00	1041.00	3964.00
First floor area	5005.00	1041.00	3964.00
Second floor area	5005.00	1041.00	3964.00
Third floor area	5005.00	1041.00	3964.00
Total Const. Area	30746.00	14890.00	15856.00

LESS STORAGE AREA = 475
15381.00/13250.00
NET F.A.R. = 1.16

STILT FLOOR BUILTUP AREA = 5363.00 SQ.FT.

GROUND COVERAGE = 38 % OF PLOT AREA
NO. OF FLATS = 4 x 6 = 24
TOTAL HEIGHT = 39'0"

PARKING DETAIL

REQUIRED PARKING E.C.U. = 15381.00 / 10.76 / 75 = 19
VISITOR PARKING 25 % = 5
TOTAL REQUIRED PARKING E.C.U. = 24
PARKING E.C.U. IN BASEMENT FLOOR = 5363-185 / 10.76/35 = 13
PARKING E.C.U. IN STILT FLOOR = 5363 - 185 / 10.76/30 = 16
PARKING E.C.U. IN OPEN AREA = 13250 - 5363 - 1700 (RAMP)
NET AREA = 6187.00/10.76/ 25 = 23.00
TOTAL AVAILABLE PARKING E.C.U. = 13 + 16 + 23 = 52

PROPOSED FLATS PLAN FOR
SH. MANOHAR LAL S/O SH. LAXMI NARAYAN
TIWARI & SH. SATYANARAYAN
S/O SH. BANSHILAL JI TIWARI
AT PLOT NO. 34 B,
NEW FATEHPURA
UDAIPUR (RAJ.)

SCALE 1"= 14'0"

SIG. OWNER

UPENDRA TATER
Architect & Valuer
B. ARCH (HONS.), MBA
CA/9/1/14369
CCIT/UDR/CAT-1/02/04

ARCHITECT



कार्यालय नगर निगम, उदयपुर (राज.)

क्रमांक:- म. 37/90/13-14

दिनांक:- 13/6/14

श्री मनोहर लाल तिवारी पिता स्व. श्री लक्ष्मीनारायण तिवारी
श्री सत्यनारायण पिता स्व. बंशी लाल तिवारी

विषय :- भवन निर्माण का अनुमति पत्र (द्वितीय चरण में)

महोदय/महोदया,

आपके द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र क्रमांक म.अ/090/2013-2014 दिनांक 16/08/2013 के अनुसरण में न्यू फतहपुरा, उदयपुर नामी योजना के भूखंड संख्या 34 बी ब्लॉक संख्या 34 भूखंड संख्या 34 वार्ड संख्या 3 क्षेत्रफल 13250'-0" वर्ग फीट पर निम्नलिखित शर्तों के साथ भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 10/05/2016 में लिये गये निर्णय अनुसार इजाजत दी जाती है।

1. भूखंड पर निर्माण निम्नलिखित सेट बैक छोड़कर किया जावेगा।

सामने का सेट बैक 30'-0" फीट
पीछे का सेट बैक 15'-0" फीट
पार्श्व का सेट बैक पार्श्व 1- 15'-0" फीट पार्श्व 2 - 20'-0" फीट

- भूखंड पर बनाये जाने वाले भवन का क्षेत्रफल भूखंड के क्षेत्रफल के प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।
- आपके भूखंड के सामने स्थित सड़क की चौड़ाई 50'-0" फीट/मीटर है कृपया सड़क की उक्त चौड़ाई पर कोई निर्माण कार्य नहीं करें।
- आप भवन के प्रत्येक कमरे, रसोई, शौचालय आदि में हवा व रोशनी की उपयुक्त व्यवस्था करेंगे।
- आप भूखंड में कोई भी ऐसा निर्माण या उपयोग नहीं करेंगे जिसके कारण आपके पड़ोस या मोहल्ले में रहने वालों के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- आप भूखंड में निर्धारित भवन रेखाओं के आगे कोई निर्माण कार्य नहीं करेंगे।
- आपके द्वारा भूखंड पर निर्माण इस पत्र के पीछे वर्णित शर्तों एवं नगर निगम में प्रचलित भवन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार ही करवाया जायेगा अन्यथा उनके उल्लंघन करने पर अनाधिकृत निर्माण तोड़ने के अलावा आप पर फौजदारी मुकदमा चलाया जायेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। अनाधिकृत निर्माण आप के खर्चे से ही तुड़वाया जाकर निगम द्वारा आपसे खर्चे वसूल किया जावेगा।
- इस भवन की इजाजत से भूमि/भूखंड के स्वामित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा एवं इस सम्बन्ध में नगर निगम एवं अन्य व्यक्तियों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे।
- यह स्वीकृति मात्र आवासीय उपयोग तथा प्रथम चरण में बेसमेंट, स्टील्ट पार्किंग, भूतल + दो मंजिल आवासीय फ्लेट्स पर द्वितीय चरण में तृतीय मंजिल आवासीय फ्लेट्स व स्टील्ट फ्लोर पार्किंग में भवन विनियम अनुसार कुल स्वीकृत योग्य एफ. ए.आर क्षेत्र का 3 प्रतिशत दुकानों के लिए उपयोग की स्वीकृति तक भवन का निर्माण हेतु दी जा रही है। स्वामित्व एवं अन्य मुद्दों बाबत वास्तविक तथ्य छिपाकर गलत शपथ पत्र देने एवं स्वीकृति विपरित निर्माण एवं उपयोग करने पर निगम द्वारा जारी स्वीकृति स्वतः निरस्तनीय मानी जावेगी। इस स्वीकृति को सबूत के काम में न लें।
- भूखंड के सामने जहाँ सीवर लाइन उपलब्ध है वहाँ आपके सीवर कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा।
- भूखंड में वर्षा जल एकत्रीकरण हेतु टांके का निर्माण अनिवार्य रूप से किया जावे इस पानी को धरेलु उपयोग में लिया जावे।
- भूखंड क्षेत्र में कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगावें तथा भवन निर्माण कम से कम लकड़ी का उपयोग कर पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्द्धन में सहयोग करें।
- प्राथम्य इस भूखंड पर भवन निर्माण हेतु किसी राष्ट्रीयकृत बैंक व अन्य संस्थाओं से ऋण लेने हेतु भूखंड को रहन रखें तो इसमें नगर निगम को कोई आपत्ति नहीं है।
- यह निर्माण स्वीकृति जारी होने के दिनांक को 2 वर्ष के लिए मान्य है। इस समयावधि के पश्चात इसे नवीनीकरण कराना आवश्यक है।
- मैन गेट के पिल्लर पर प्राथम्य अपना नाम प्लेट नं./मकान नं., गली/सड़क का नाम एवं पूरा पता स्पष्ट शब्दों में अंकित करावें।
- मैन गेट अंदर की ओर खुलता हुआ रखें एवं सड़क की तरफ रैम्प, सिढ़ी, नाल आदि न बनावें।

17. प्रार्थी द्वारा निर्माण स्थल पर दृढ़ पदार्थ से बने 4'-0" * 4'-0" आकार के बोर्ड पर भवन अनुज्ञा और सन्निर्माण की विशिष्टियों को प्रमुख रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। प्रारूप संलग्न।
18. प्रार्थी स्वयं एवं आगन्तुको के वाहन को स्वयं के परिसर में रखे सार्वजनिक मार्गाधिकार में वाहन रखने की अनुमति नहीं है।
19. प्रार्थी द्वारा निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उसका सीमांकन/ले आउट अथवा मार्किंग निगम के कनिष्ठ अभियन्ता से कराया जाकर उसी अनुरूप निर्माण प्रारम्भ करें।
20. भवन की सुरक्षा के लिये क्वालिफाईड स्ट्रक्चर इंजिनियर से स्ट्रक्चर डिजाईन करवा कर ही निर्माण करावे।
21. अग्निशमन का प्रावधान नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार होगा।
22. ग्रेसमेन्ट पार्किंग रखे व खुले क्षेत्र में पार्किंग रखे व पार्किंग बाबत दिनांक 9/6/2016 की समर्पण पत्र हेतु दिये गये शपथ पत्र की शर्तों पर कायम रहे।
23. राष्ट्रीय भवन संहिता के सभी प्रावधानों की पालना करे।
24. प्रार्थी सेट बैक में निर्माण नहीं करे।


आयुक्त
नगर निगम, उदयपुर

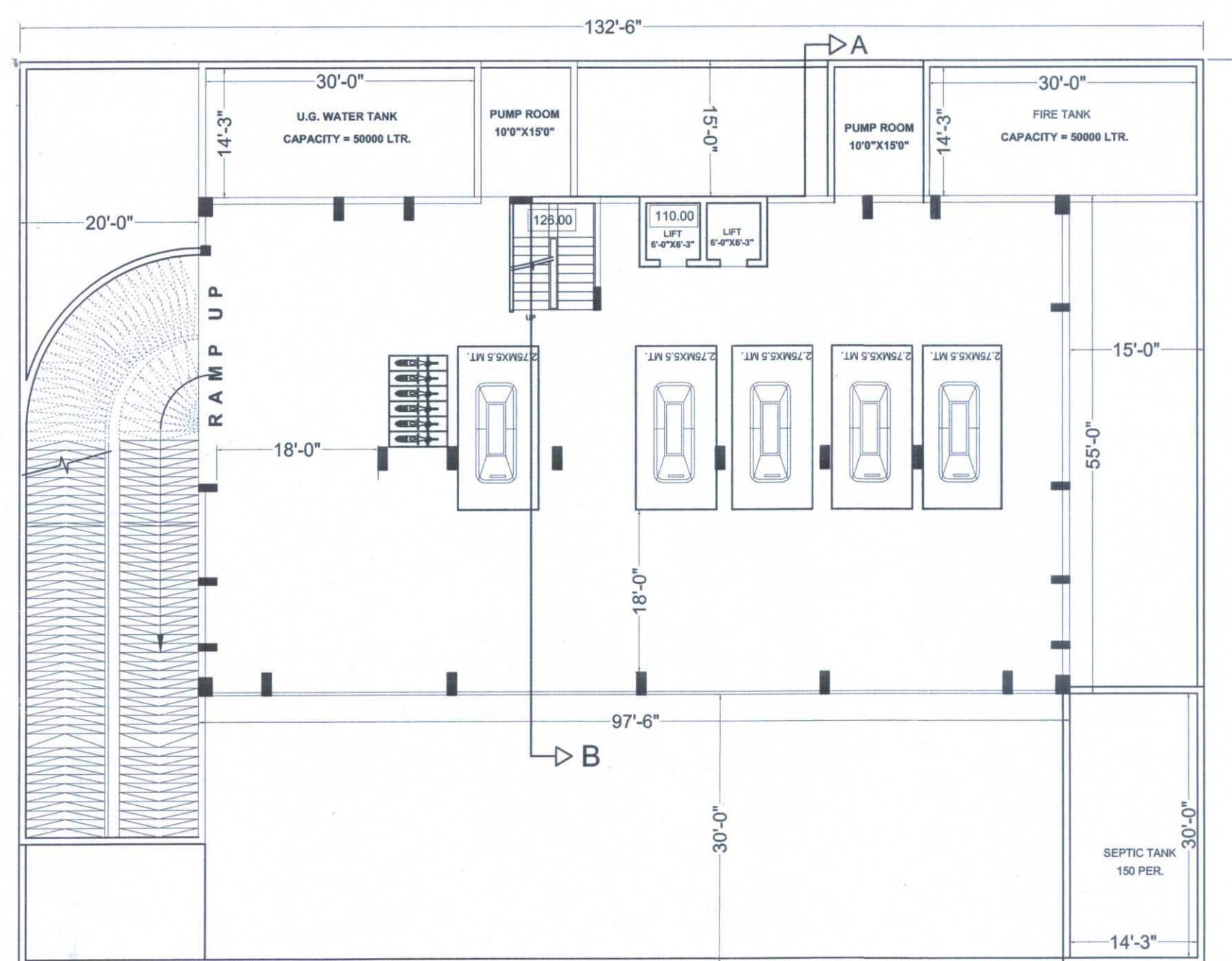
CONDITIONS :

1. No Projection Shall be allowed over the minimum open space expect in the front and that to will be permittes only in way of balony
2. Plinth heigh shall be not less than 2'-0 ft. form a abutting road level and height of compound wall shall be not more than 4.5 ft.
3. Width of staircase shall be not less than 3 ft.
4. No living the rooms shall cover carpet area less than 100 sq ft.
5. Clear ceiling height of living rooms shall be not less than 10'-0'ft.in ground floor and 10'-0' ft. in upper floors.
6. Only flush latrine shall be constructed in accordance with prevalent ruled and the effluence of septic tank shall be absorbed in the soak pit within the premises of the plot.
7. Where the Government surface drain not exit the waste of the house shall be absorbed soak pit within the premises of the plot.
8. In case of Corner plot, Coner of compound wall at road crossing shall be stricltly rounded to patta/site plan..
9. No addition or alteration to the sanctioned plan shall be made prior to approval of this deparment.
10. Plot number shall be put on Gate pillar.
11. Owner of the house should inform the date of Commencement of construction to this office brfore it actually starts.
12. The house Construction under this permission shall be declared for use only after obtaining completion certificate as per approve pan.
13. Rest rules as prevalent in municipal council for this clearance & sanction etc. shall be strictly followed.

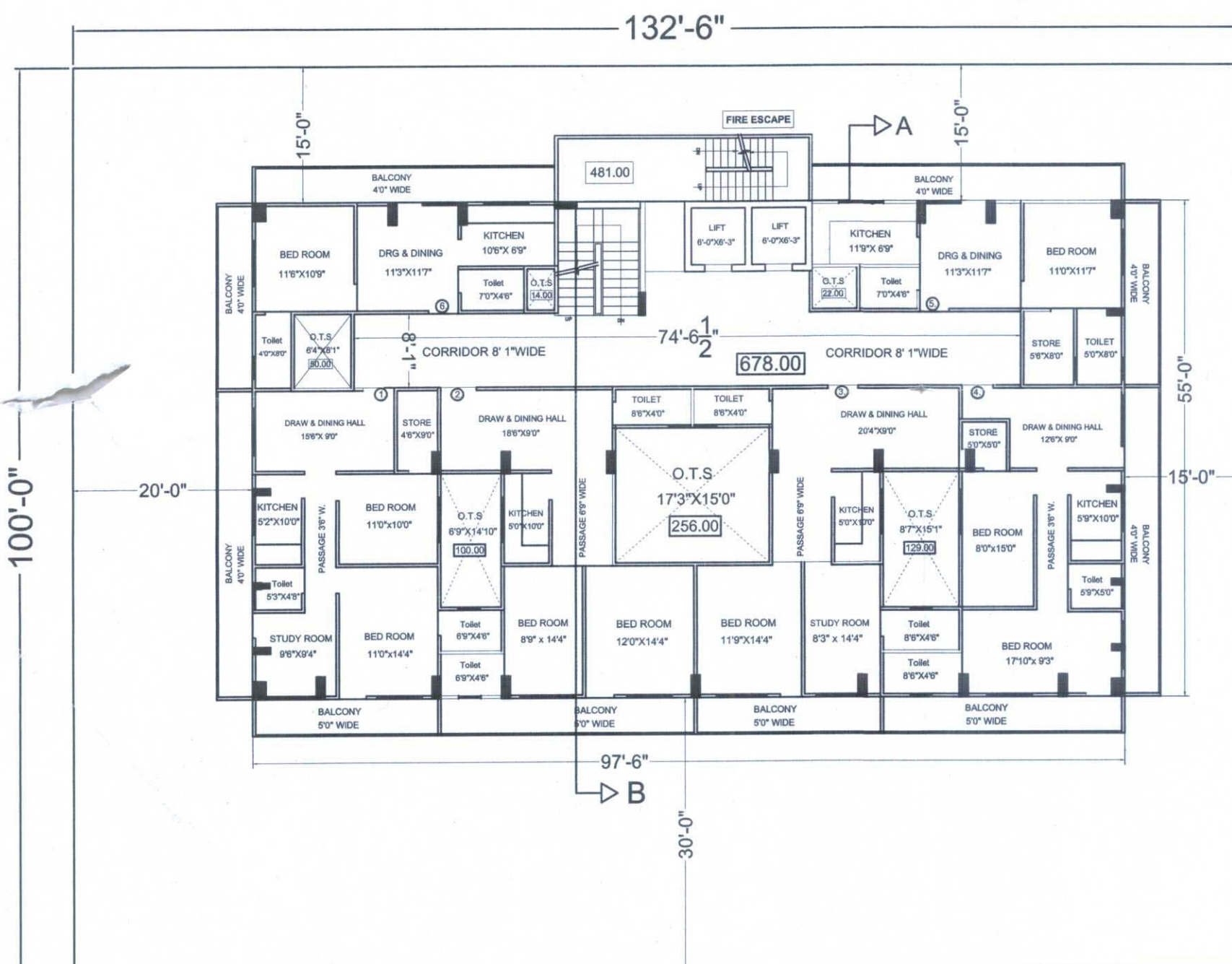
प्रतिलिपि :-

1. राजस्व अधिकारी/सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपने अपने क्षेत्र में भवन निर्माण अनुमति अनुसार निर्माण होना सुनिश्चित करावे।
2. प्रत्यास शाखा प्रथम/द्वितीय को प्रेषित कर लेख है कि नियमों के उल्लंघन विपरीत रिपोर्ट आने पर आर ओ को कार्यवाही हेतु भेजे एवं प्लान मूल पत्रावली में लगावें।
3. कार्यालय प्रति भवन मानचित्र शाखा।
4. श्री उपकर निर्धारण अधिकारी भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण कार्यालय संभागीय आयुक्त, श्रम आयुक्त, उदयपुर (राज)।

1
आयुक्त
नगर निगम, उदयपुर
2



EXI. BASEMENT FLOOR PLAN



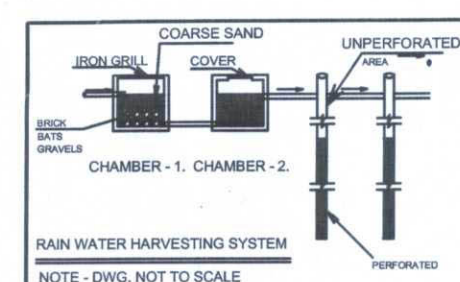
EXI. GROUND & FIRST FLOOR

PARKING DED. DETAIL BASEMENT FLOOR

STAIR AREA	126.00
LIFT AREA	110.00
TOTAL DID. AREA	236.00

PARKING DEDUCTION DETAIL STILT FLOOR

STAIR, LIFT, LOBBY	1002.00
SHOP AREA	469.00
TOTAL DID. AREA	1471.00



F.A.R. DEDUCTION DETAIL TYPICAL FLOOR
B. AREA = 5573.00 SQ.FT.

STAIR, LIFT, LOBBY	481.00
O.T.S. AREA	571.00
LOBBY AREA	678.00
TOTAL DID. AREA	1730.00

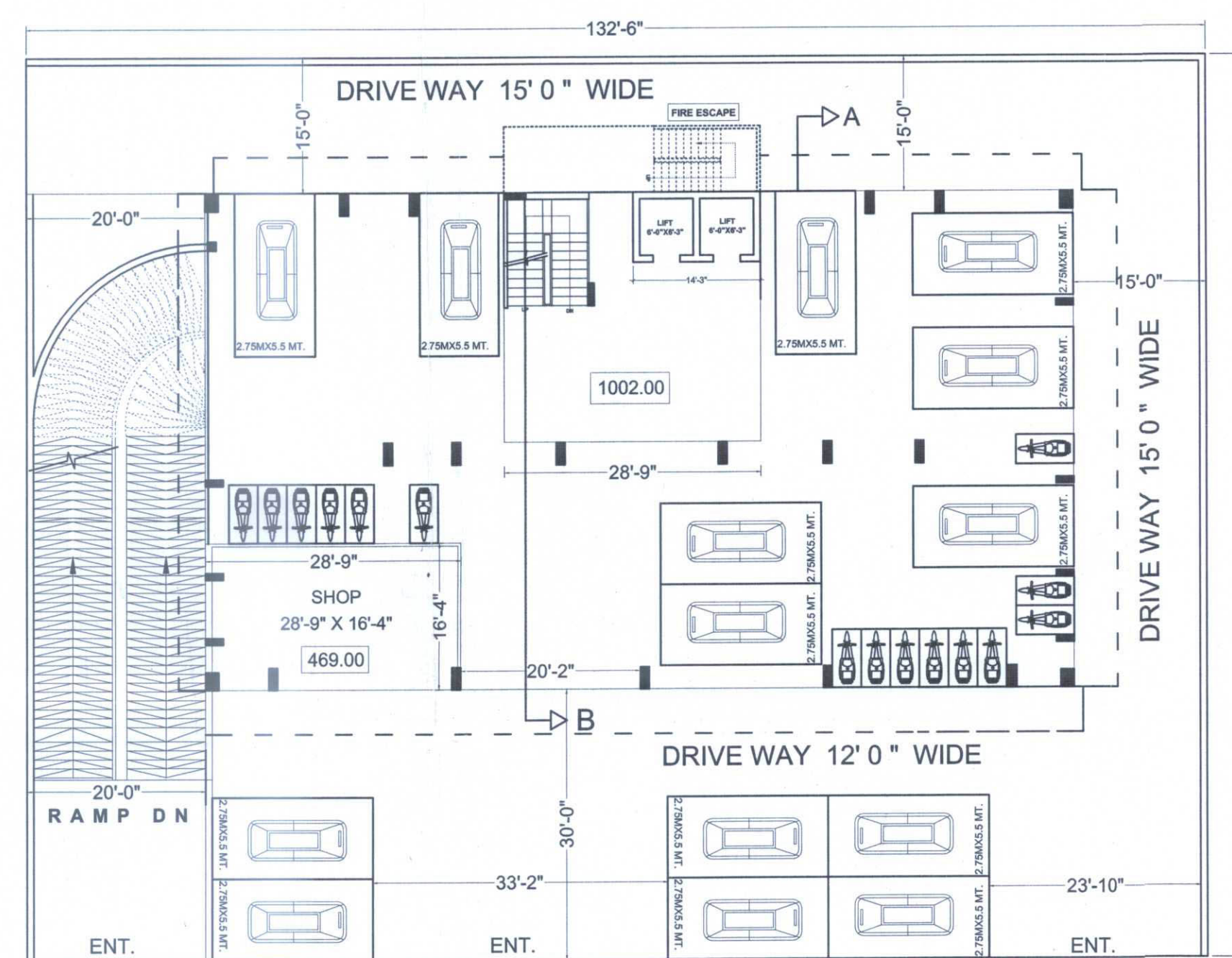
PARKING DETAIL

TOTAL REQUIRED PARKING E.C.U. = 25
TOTAL AVAILABLE PARKING E.C.U. = 25
1. CAR 19 (75 % OF E.C.U.)
AREA FOR EACH CAR = 2.75M X 5.5 MT.
2. TWO WHEELER 5X3 = 15 (20% OF E.C.U.)
AREA FOR EACH TWO WH. = 1MX2.0 MT.
3. CYCLE 1X8 = 06 (5% OF E.C.U.)
AREA FOR EACH CYCLE = 0.5MX2.0 MT.

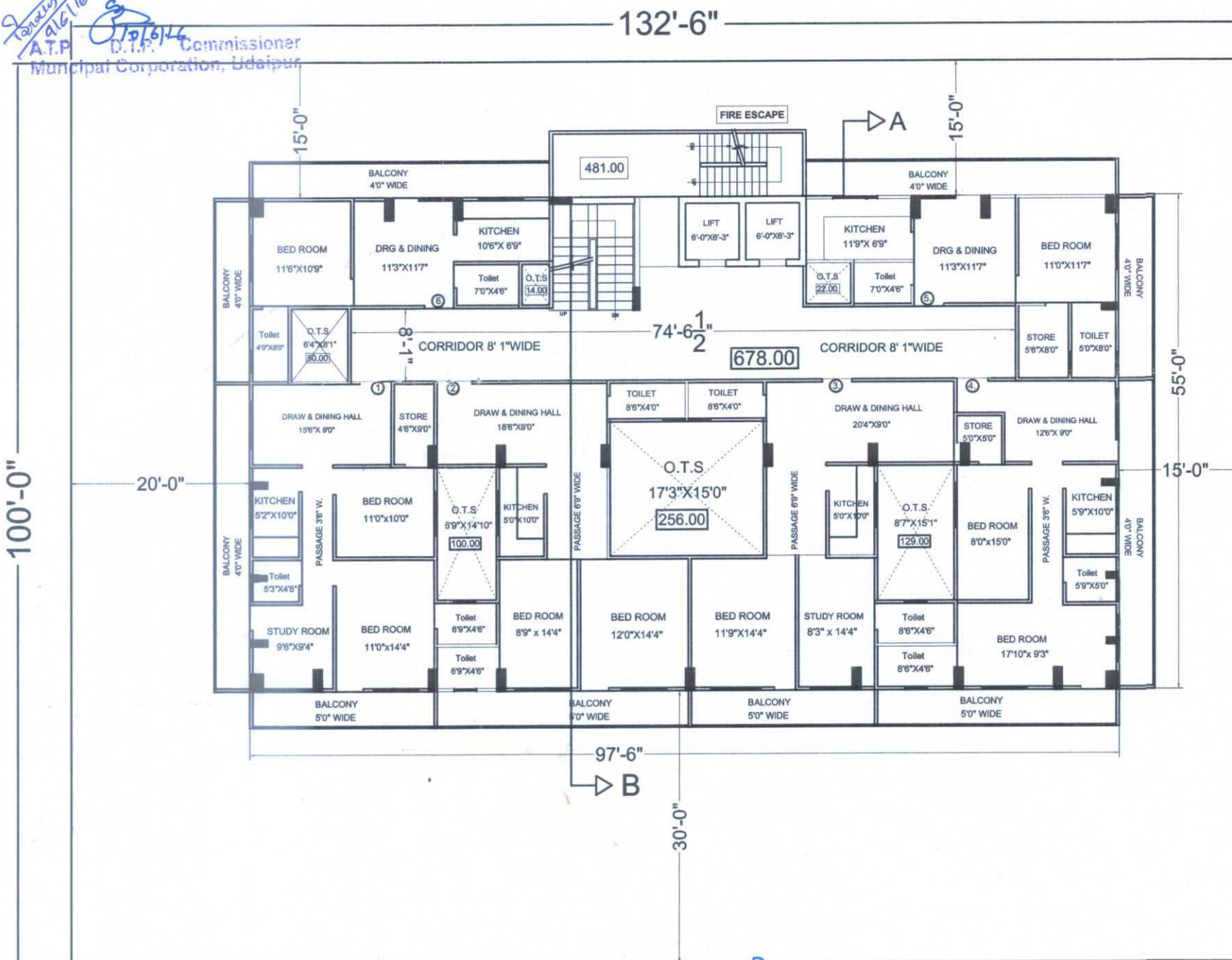
UNIT	B. FLOOR	STILT FLOOR & OPEN AREA	TOTAL UNIT
CAR	05	08	19
TWO WH.	00	15	15
CYCLE	06	00	06



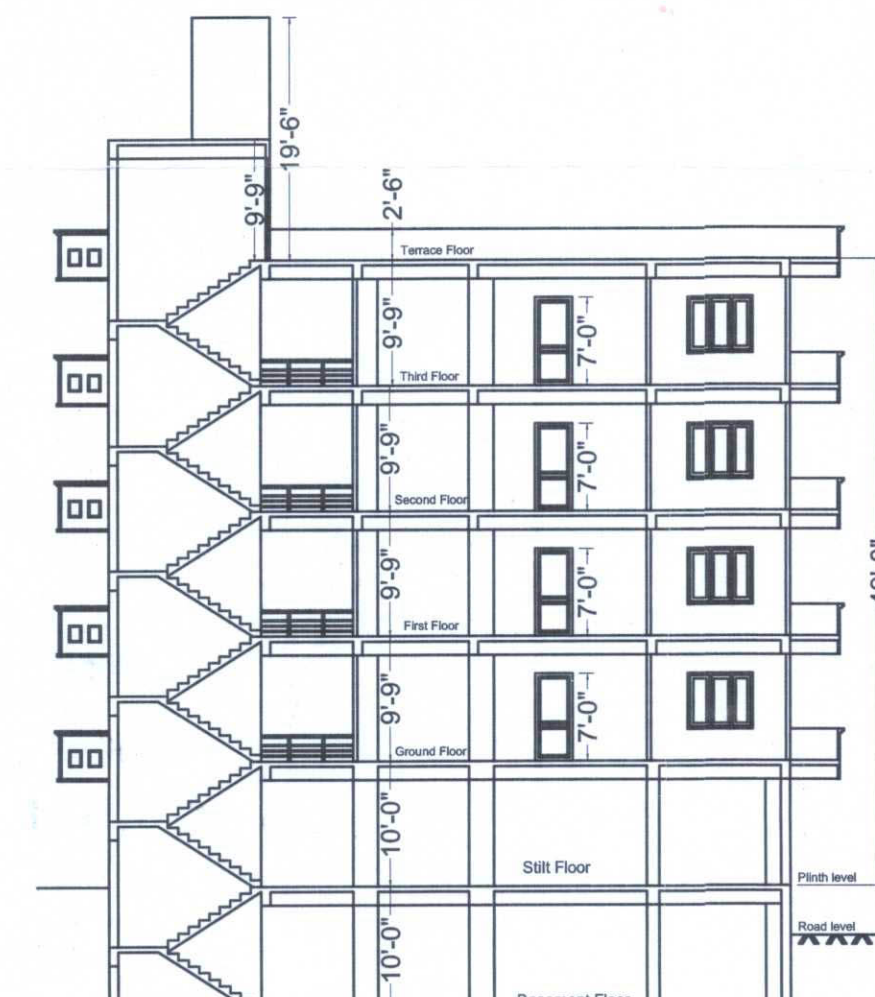
FRONT ELEVATION



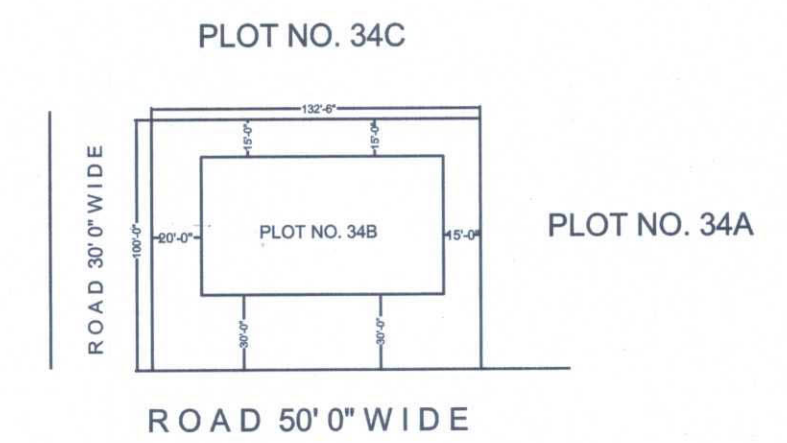
EXI. STILT FLOOR PLAN



PRO. SECOND & THIRD FLOOR



SECTION AT A - B.



SITE PLAN

SCALE: 1" = 60'-0"

PLOT SIZE : AS PER SHOWN

PLOT AREA : 13250.00 SQ.FT.

F.A.R. AREA DETAIL

PARTICULAR	BUILTUP IN SQ.FT.	DIDUCTION FOR F.A.R.	F.A.R. AREA IN SQ.FT.
Exi. Basement f. area	5362.00	5362.00	00.00
Exi. Stilt floor area	5573.00	5104.00	469 (COM.) (3% OF F.A.R.)
Exi. Ground floor area	5573.00	1730.00	3843.00
Exi. First floor area	5573.00	1730.00	3843.00
Pro. Second floor area	5573.00	1730.00	3843.00
Pro. Third floor area	5573.00	1730.00	3843.00
Total Const. Area	33227.00	17386.00	15841.00

LESS STORAGE AREA = 461 (3% OF RES. AREA = 15372)

15380.00 / 13250.00

NET F.A.R. = 1.16

GROUND FLOOR BUILTUP AREA = 5573.00 SQ.FT.

GROUND COVERAGE = 42.00 % OF PLOT AREA

NO. OF FLATS = 4 x 6 = 24

TOTAL HEIGHT = 49'-0"

PARKING DETAIL

REQUIRED PARKING E.C.U. (COM.) = 469.00 / 10.76 / 50 = 1

REQUIRED PARKING E.C.U. (RES.) = 14911.00 / 10.76 / 75 = 19

VISITOR PARKING 25 % = 5

TOTAL REQUIRED PARKING E.C.U. = 25

PARKING E.C.U. IN BASEMENT FLOOR = 5362 - 236 / 10.76 / 35 = 13

PARKING E.C.U. IN STILT FLOOR = 5573 - 1471 / 10.76 / 30 = 12

PARKING E.C.U. IN OPEN AREA = 13250 - 5573 - 1700 (RAMP)

NET AREA = 5977.00 / 10.76 / 25 = 22.00

TOTAL AVAILABLE PARKING E.C.U. = 13 + 12 + 22 = 47

PROPOSED FLATS PLAN FOR
SH. MANOHAR LAL S/O SH. LAXMI NARAYAN
TIWARI & SH. SATYANARAYAN S/O SH.
SH. BANSHILAL JI TIWARI .
AT PLOT NO. 34 B,
NEW FATEHPURA
UDAIPUR (RAJ.)

SCALE 1" = 12'-0"

SIG. OWNER

ARCHITECT